

श्रीमान श्री नरेश जोशी दिनांक 27/11/2009-मास उपनिवेशिका/विभाग/सदर उन्नाव
पत्रावली प्राप्त रा. उन्नाव उन्नाव

ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ डेवनागरी द्वारा संचालित ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ सोसाइटी 106 चरारी चन्द्र नगर बानपुर द्वारा चैयमैन केजराम अग्रवाल पुत्र राधेलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2ए पारवती बागला रोड रानीघाटबानपुर कब्रि में धारा 143 उ०प्र०वि०सर्व भू०ध्व०अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि गाटा संख्या 326क रकबा 0.7970, गाटा संख्या - 336 रकबा 0.058हे०, 313 रकबा 0.3390हे०, 314 रकबा 0.1260हे०, 327रकबा 0.6840, 312 रकबा 0.5770 व गाटा संख्या 320 रकबा 0.081हे० स्थित गदनबोड़ा/परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव को वादी ने शिक्षणसंस्थान हेतु जरिये बैनामा जारीदा है। वादी उक्त भूमि पर काबिज व दहलीज है और उक्त नम्बरान आपस में मिले हुये है। वादी ने बैनामा कराने के पश्चात उक्त भूमि को समतल करवाकर उस पर बाउण्ड्री निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है। उक्त भूमि से आवादी से मिली हुई है और उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान हेतु क्रय की गयी है और उस पर शिक्षण संस्थान का मदन तामीर करवाकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा तथा अन्य किसी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा। अंत में उक्त भूमि को आवासीय घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने अपने कथान के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि उक्त भूमि सीलिंग पट्टे से प्राप्त नहीं है बल्कि बैनामे से प्राप्त है। उक्त भूमि ग्रामसभा की नहीं है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जे का कोई विवाद नहीं है। वादी उक्त भूमि पर मैनेजमेंट कालेज बनवाना चाहता है। उक्त भूमि ग्राम का ग्राम लीडा के अंतर्गत घोषित है-लीडा की शर्तों का पालन करेगा। आवेदित भूमि मैनेजमेंट कालेज हेतु उपयोग करेगा। आवेदित भूमि किसी संस्था या बैंक में बंधक नहीं है।

निर्णय

ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ डेवनागरी द्वारा संचालित ग्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ सोसाइटी 106 चरारी चन्द्र नगर बानपुर द्वारा चैयमैन केजराम अग्रवाल पुत्र राधेलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2ए पारवती बागला रोड रानीघाटबानपुर कब्रि में धारा 143 उ०प्र०वि०सर्व भू०ध्व०अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि गाटा संख्या 326क रकबा 0.7970, गाटा संख्या - 336 रकबा 0.058हे०, 313 रकबा 0.3390हे०, 314 रकबा 0.1260हे०, 327रकबा 0.6840, 312 रकबा 0.5770 व गाटा संख्या 320 रकबा 0.081हे० स्थित गदनबोड़ा/परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव को वादी ने शिक्षणसंस्थान हेतु जरिये बैनामा जारीदा है। वादी उक्त भूमि पर काबिज व दहलीज है और उक्त नम्बरान आपस में मिले हुये है। वादी ने बैनामा कराने के पश्चात उक्त भूमि को समतल करवाकर उस पर बाउण्ड्री निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है। उक्त भूमि से आवादी से मिली हुई है और उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान हेतु क्रय की गयी है और उस पर शिक्षण संस्थान का मदन तामीर करवाकर शिक्षण कार्य कराया जायेगा तथा अन्य किसी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जायेगा। अंत में उक्त भूमि को आवासीय घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने अपने कथान के समर्थन में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि उक्त भूमि सीलिंग पट्टे से प्राप्त नहीं है बल्कि बैनामे से प्राप्त है। उक्त भूमि ग्रामसभा की नहीं है। उक्त भूमि पर आवेदक का कब्जा है तथा भूमि पर स्वामित्व एवं कब्जे का कोई विवाद नहीं है। वादी उक्त भूमि पर मैनेजमेंट कालेज बनवाना चाहता है। उक्त भूमि ग्राम का ग्राम लीडा के अंतर्गत घोषित है-लीडा की शर्तों का पालन करेगा। आवेदित भूमि मैनेजमेंट कालेज हेतु उपयोग करेगा। आवेदित भूमि किसी संस्था या बैंक में बंधक नहीं है।



वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर उन्नाव से आख्या मार्ग गयी जिस पर उनकी आख्या दिनांक: 17-12-2008 प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली तहसीलदार सदर उन्नाव ने अपनी आख्या दिनांक: 17-12-08 द्वारा नायब तहसीलदार सदर उन्नाव की आख्या दिनांक: 17-12-08 को संस्तुति सहित प्रेषित किया है। क्षेत्रीय लेखापाल एवं नायब तहसीलदार उन्नाव के बयान कराये गये जो संलग्न पत्रावली है। लीडा कोनोटिस जारी की गयी।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। क्षेत्रीय लेखापाल ने अपने बयान एवं नायब तहसीलदार सदर उन्नाव ने अपनी आख्या एवं बयान में कहा है कि ग्राम गदनबोड़ा बाहर न०प० की भूमि संख्या 313 रकबा 0.339, 314/0.126, 312मि०/0.288 व 336/0.058 व अंदर नगर पालिका की भूमि संख्या: 315मि०/0.477हे०, 326कमि०/0.797, 327मि० रकबा

रकबा 0.215 हे० व 320 मि० रकबा 0.077 हे० के संक्रमणीय भूमिधारक ग्रेट ग्रेज इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेज गैजेट स्लूकेशन नो० 106 चरारी चन्द्रनगर कानपुर द्वारा चेयरमैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र राधोलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2-स० पारवती बागला रोड रानीघाट कानपुर है। प्रस्तावित भूमि पर कृषि कार्य, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन, बागवानी, पशुपालन का कार्य नहीं किया जाता है। प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी का नज़री नक्शा संलग्न है। प्रस्तावित भूमि सीलिंग, भूदान व पट्टे से प्राप्त नहीं है और ग्रासभा की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधार है। प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का कब्जा है। प्रस्तावित भूमि में स्वामित्व व कब्जे का कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित भूमि अभी रिक्त पड़ी है तथा प्राथमिक इस भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनवाना चाहता है। प्रस्तावित भूमि लीडा के अंतर्गत है तथा प्राथमिक ने शपथपत्र दिया है कि वह लीडा की शर्तों का पालन करेगा तथा बिना लीडा के अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं करेगा। आवेदक प्रस्तावित भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनाने में करेगा। प्रस्तावित भूमि किसी संस्था/बैंक के पक्ष में बंधक नहीं है। शपथपत्र संलग्न है। प्रस्तावित भूमि जी० एस० लैण्ड/सरकारी भूमि/लोकल बाडीज लैण्ड नहीं है। बसरा संलग्न है। सी० एच० 41 व 45 संलग्न है। स्थल की फोटोग्राफी संलग्न है।

क्षेत्रीय लेखापाल के बयान, नायब तहसीलदार की आख्या एवं बयान व तहसीलदार की आख्या के अनुसार आवेदित भूमि वादी की संक्रमणीय भूमिधार की भूमि है। आवेदित भूमि गांवसभा/जी० एस० लैण्ड/लोकल बाडीज-लैण्ड नहीं है तथा सीलिंग व भूदान व पट्टे से प्राप्त नहीं है। आवेदित भूमि पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुटपालन, पशुपालन व मत्स्यपालन कार्य नहीं होता है। आवेदित भूमि विवादित नहीं है और वादी का कब्जा है। वादी उक्त भूमि का उपयोग मैनेजमेंट कालेज बनाने में करेगा। प्रस्तावित भूमि किसी संस्था/बैंक के पक्ष में बंधक नहीं है। आवेदित भूमि अकृषिक घोषित होने योग्य है परन्तु आवेदित भूमि का ग्राम लीडा के अंतर्गत होने के कारण आवेदित भूमि को इस शर्त के साथ अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वादी नियमानुसार लहानऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लहानऊ लीडा के सहायक अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही निर्माण कार्य करे तथा लीडा की शर्तों तथा लीडा एवं शासन के निर्देशों एवं आदेशों का पालन करेगा।

आदेश

ग्रेट गैजेट इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी द्वारा संचालित ग्रेज गैजेट स्लूकेशन नो० 106 चरारी चन्द्र नगर कानपुर द्वारा चेयर-मैन तेजनरायन अग्रवाल पुत्र राधोलाल अग्रवाल निवासी 4/276/2-स० पारवती बागला रोड रानीघाट कानपुर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधार दर्ज ग्राम गदनहोड़ा बाहर नगरपालिका पर 0 हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित भूमि गाटा संख्या 313 रकबा 0.339 हे० 314 रकबा 0.126 हे०, 312 मि० रकबा 0.288 हे० व 336 रकबा 0.058 हे० व ग्राम गदनहोड़ा अंदर न० 1070 परगना हड़हा तहसील व जिला उन्नाव स्थित गाटा

31 जमीन रकबा 0.477 हे०, 3265 रकबा 0.797 हे० 327 रकबा 0.47 हे० व 320 रकबा 0.077 हे० को उपरोक्त दि० एवं 8-10 व्य० अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस शर्त के साथ शिवांगिक घोषित किया जाता है कि सहाय अधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करें।

तदनुसार राजस्व अभिलेखा में अमलदरमिद हेतु परवाना अमलदर जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाय।

दिनांक: 27 जनवरी, 2009

(Signature)
8 सितंबर सिंह
उप जिलाधिकारी, सदर-उन्नाव

